

रजिस्टर इन्तकाल गाँव

दजिस्टर्ड इन्तकालि गांव

3

Page 10

10

1

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

22105

[illegible]

SAC
891

STATE BANK OF INDIA

Sl. No.

GSR / 001 272262

RECEIPT



STATE BANK OF INDIA

Mehrauli Road, Gurgaon (01555)

Branch

Code No.

Received a sum of Rs. 5,29,400/-

(Rupees Five Lacs Twenty Nine thousand four hundred only only)

From Smt. / Shri M/s Drwzba Overseas Pvt Ltd.

to, d/o, w/o NA

residing at New Delhi STATE BANK OF INDIA for credit to Government of Haryana
account towards Stamp Duty

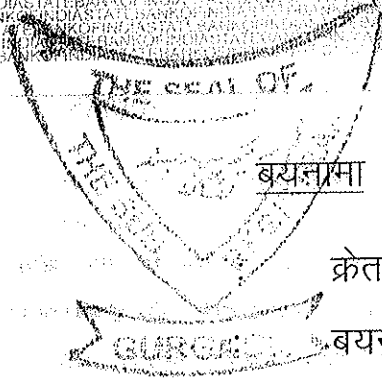
Date

Place

GURGAON



(Signatures of Authorised Officer)



विक्रेता अंकित आदि

क्रेता मैसर्स द्रुजबा ओवरसीज प्रा० लि०,

1- किस्म वसीका

बयनामा

2- मालियती

: 75,62,500 / - रुपये

3- स्टाम्प

: 5,29,400 / - रुपये

सुजन देवी

Hall No. _____
Date _____

प्रलेख नः 33337

दिनांक 25/02/2011

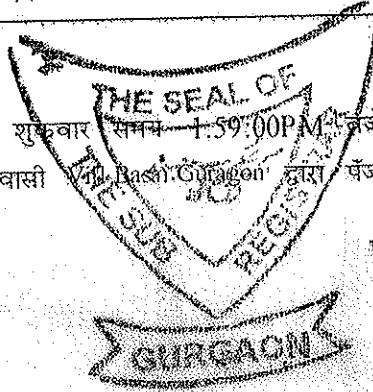
डीड संबंधी विवरण		
डीड का नाम SALE WITH IN MC AREA		
तहसील/सब-तहसील गुडगांवा	गांव/शहर बसई	स्थित बसई
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
निवासीय	12 Biswa 2 Biswansi	
धन संबंधी विवरण		
राशि 7,562,500.00 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 529,400.00 रुपये	
स्टाम्प की राशि 529,400.00 रुपये	रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये
रूपये		

Drafted By: MK Chauhan adv

यह प्रलेख आज दिनांक 25/02/2011 दिन शुक्रवार समय 1:59:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Ankit पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी ANand निवासी Basai Gurgaon द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

सुमन देवी

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता



VIJAY KUMAR YADAV
Joint Sub-Registrar
उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
गुडगांवा

श्री Ankit thru Suman Devi (COURT GUARDIAN), Shalu thru (COURT GUARDIAN)

उपरोक्त विक्रेता श्री/श्रीमती/कुमारी Thru- B P Singh क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रूपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अंश की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Kawal Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Sukhpal निवासी Basai Gurgaon व श्री/श्रीमती/कुमारी MK Chauhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी adV GCN ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 25/02/2011

VIJAY KUMAR YADAV
उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
गुडगांवा

4- गांव/शहर का नाम : बसई

5- रकबा : 0 बीघा 12 बिस्वा 02 बिश्वानसी

6- किस्म अराजी : चाही

7- स्टाम्प विक्रेता : एस0बी0आई0, महरौली रोड,
गुडगांव।

8- स्टाम्प नं0/ तारीख : कमाक नं0 272262
GSR/001/ 23-02-2011

हमके अंकित पुत्र व शालू पुत्री आनन्द पुत्र रतन सिंह निवासीगण गांव बसई तहसील व जिला गुडगावा के है ।

जोकि विक्रेतागण अंकित पुत्र व शालू पुत्री आनन्द को प्राकृतिक संरक्षक अपनी माता श्रीमति सुमन देवी विधवा आनन्द बजरिए न्यायालय माननीय श्री राजकुमार यादव गार्डियन जज, गुडगाँव के आदेश दिनांक 09-02-2011 केस नं0 211 दिनांक 02-12-2010 द्वारा यह रजिस्ट्री बयनामा करने के सभी हक हासिल हैं।

हम वाका मौजा बसई तह0 व जिला गुडगाँव में अराजी खेवट नं0 30 खतौनी नं0 46, खसरा नं0 218(3-17), 219(4-6), कित्ता 2 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा मे से अंकित व शालू 2/27 भाग कुल बकदर रकबा 0 बीघा 12 बिस्वा 02 बिश्वानसी के हम बरूये जमांबदी सन 2001-2002 व ईन्तकाल नं0 5705 द्वारा मालिक व काबिज हैं। जोकि उपरोक्त रकवा ताहाल हर किस्म के भार से पाक व साफ है। इस पर कोई सरकारी या गैरसरकारी भार व कर्जा नहीं है, ना ही उपरोक्त विक्रय अराजी की बाबत कोई मुकदमा किसी भी अदालत में विचाराधीन है, ना ही उपरोक्त अराजी की बाबत विक्रेता ने आज से पहले किसी दीगर शक्स के साथ कोई इकरारनामा, बय, रहन, पट्टा, तबादला, हिब्बा, आदि किया हुआ है, ना ही उपरोक्त विक्रय अराजी एक्वारमेंट ना है, ना ही

सुमन देवी

Reg. No. 33337 Reg. Year 2010-2011 Book No. 1



विक्रेता



क्रेता



गवाह

श्री/श्रीमती/Devil सुजन देवी

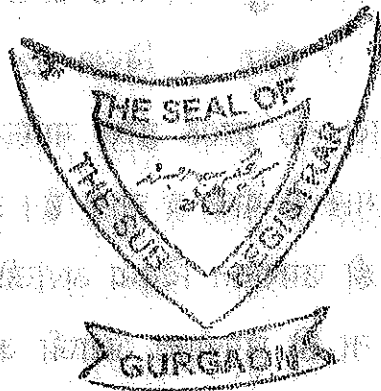
श्री/श्रीमती/हनु- B P Singh Ali

गवाह 1:- Kawal Singh Kamal Singh गवाह 2:- MK Chauhan MK Chauhan

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 33.337 आज दिनांक 25/02/2011 को बही न: 1 जिल्द न: 9,753 के पृष्ठ न: 140 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 832 के पृष्ठ सख्या 52 से 53 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रत्यक्ष गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है।

दिनांक 25/02/2011



VIJAY KUMAR YADAV
Joint Sub-Registrar
उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
गड़गाँवा

सरप्लस में है, ना ही उपरोक्त अराजी की बाबत अपने किसी कानूनी वारिसान के नाम कोई कोर्ट डिक्री आज से पहले की है। यह कि उपरोक्त रकवे पर किसी का मौरुसी या गैरमौरुसी हक व हकूक ना है यानि उपरोक्त विक्रय अराजी ताहाल हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। अगर उपरोक्त रकवे पर कोई भी रहन, पट्टा, तबादला, हिब्बा, मौरुसी या गैरमौरुसी पाया जाता है तो उसका हम स्वयं जिम्मेदार होंगे वह हम ठीक कराकर देंगे व भूमि से किसी प्रकार की मिट्टी ना उठाई गयी है तथा जमीन का लेवल समतल है। अब विक्रेता को बराये सुधार दीगर जायदाद व जरूरत खानगी व सारे परिवार की सहमति से परिवार की जरूरत पूरा करने के लिये रूपयों की जरूरत है इसलिए आज अपने ठीक होश व हवास में बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी व खुशी से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपनी उपरोक्त आराजी रकबा यानि कि कुल 0 बीघा 12 बिस्वा 02 बिश्वानसी को मय सर्व अधिकार सहित व हक हकूक दाखिली खारिज के बदले मु0 75,62,500 /—रुपये (पिच्चतर लाख बासठ हजार पाच सौ रुपये केवल) आधे जिनके मुबलिग 37,81,250 /— रुपये होते हैं, बाहक: क्रेता मैसर्स द्रुजबा ओवरसीज प्रा0 लि0, एम-11, मिडील सर्किल कर्नाट प्लेस नई दिल्ली को बय व फरोक्त कतई कर दी है। कुल जरे बय बजरिये चैक व नकद वसूल पा लिए है।

जोकि निम्न प्रकार से है —

अंकित (बजरिए प्राकृतिक संरक्षक श्रीमति सुमन देवी विधवा आनन्द) ने मु0 37,81,250 /— रुपये बजरिए ड्राफ्ट नं0 956097 दिनांक 01-12-2010 अदाकर्ता बैंक सिटी बैंक नई दिल्ली द्वारा वसूल पा लिए है।

सुमन देवी

शालू (बजरिए प्राकृतिक संरक्षक श्रीमति सुमन देवी विधवा आनन्द) मु0 37,81,250 /— रुपये
बजरिए ड्राफ्ट नं0 956097 दिनांक 01-12-2010 अदाकर्ता बैंक सिटी बैंक नई दिल्ली द्वारा
वसूल पा लिए है।

अब मजकूर खरीदार कम्पनी के जिम्मे किसी किस्म का कोई लेन-देन बाकी नहीं रहा है।
कब्जा मौके पर मजकूर खरीदार कम्पनी को उपरोक्त नम्बरान पर कब्जा देकर पूर्ण रूप से
अपने जैसा मालिक व काबिज बना दिया है। मैंने खरीदार कम्पनी को उपरोक्त किला
नम्बरान पर कब्जा दे दिया है। जोकि अभी से पहले सिर्फ मेरा/हमारा कब्जा ही उपरोक्त
किला नम्बरान पर था। और उपरोक्त रकबा और किला नम्बरान से मेरे/हमारे अलावा किसी
और का ना ही कोई वास्ता था और ना ही किसी और का कब्जा उपरोक्त रकबा और किला
नम्बरान पर था। अब मजकूर खरीदार कम्पनी आराजी मुबईया को जिस तरह चाहे इस्तेमाल
करे विक्रेता को कोई उजर व ऐतराज नहीं होगा। विक्रेता कागजात माल रिकार्ड में मजकूर
खरीदार कम्पनी के नाम दाखिल खारिज दर्ज व मंजूर करा देगा। अगर विक्रेता कागजात
माल रिकार्ड में मजकूर खरीदार कम्पनी के नाम दाखिल खारिज दर्ज व मंजूर ना करा पावे
तो मजकूर खरीदार कम्पनी को हक हासिल होगा कि हजां दस्तावेज की रूह से कागजात
माल रिकार्ड में अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज व मंजूर करा लेवे जिसमें विक्रेता को किसी
किस्म का कोई उजर व ऐतराज ना होगा। आगे भविष्य में रकबा मजकूर बाला या इसका
कोई हिस्सा किसी नुक्स कानूनी या मलकियत के सवाल पर कब्जा खरीदार कम्पनी से
निकल जावेगा तो विक्रेता वापसी कुल जरे बय मय हरजा वा खरचा मय लागत की
अदायगी की जिम्मेवार रहेंगे। अब मेरा व मेरे किसी वारिसान का आराजी मुबईया से कोई
ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म का नहीं रहा है। मैं व मेरे वारिसान इस तहरीर के पाबन्द
रहेंगे। तमाम् रजिस्ट्री खर्चा यानि स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि खर्चा मजकूर
खरीदार कम्पनी ने अपनी तरफ से किया है।

सुमन देवी

अतः यह बयनामा खूब सोच समझ कर, पढ़वाकर, सुनकर, हाजिर गवाहन लिख दिया कि सनद रहे ताकि आगे भविष्य में बावक्त जरूरत काम आवे।

तहरीर तारीख: 25-02-2011

Drafted By:
Mahesh K. Chauhan
Advocate
Jagat, Gurgaon, Gurgaon

सुमन देवी

ह0 अंकित विक्रेता

(बजरिए प्राकृतिक संरक्षक अपनी माता श्रीमति सुमन देवी विधवा आनन्द)

सुमन देवी

ह0 शालू विक्रेता

(बजरिए प्राकृतिक संरक्षक अपनी माता श्रीमति सुमन देवी विधवा आनन्द)

ह0 कम्पनी क्रेता

श्री बचित्रपाल सिंह

(बजरिए अधिकृत प्रतिनिधि)

गवाह नं0 1

Mahesh K. Chauhan
Advocate, Gurgaon

गवाह नं0 2

Kamal Singh
KAMAL SINGH
S/O SURESH
VPO BASAI